लोक मांग पत्र

उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव–2022

यह लोक मांग पत्र

पश्चिमी हिमालय विकल्प संगम

(पश्चिमी हिमालयी राज्यों में लोक संगठनों व नागर समाज संस्थाओं का वैचारिक मंच)

के तत्वाधान में तैयार किया गया

लेखन समूह

बिजू नेगी	अजय जोशी	शंकरदत्त बर्थवाल	दीपा गुप्ता
बीज बचाओ आंदोलन	श्रमयोग	श्रमयोग	लोक विज्ञान केन्द्र
देहरादून	सल्ट, अल्मोड़ा	सल्ट, अल्मोड़ा	देहरादून

भूमिका

उत्तराखण्ड राज्य यूं तो अब 21 साल का हो गया है लेकिन उसमें अभी भी कोई व्यस्कता नहीं दिखती। उसकी राजनैतिक स्थिति शुरू से ही अजीब व ऊहापोह में रही है और लोग व उनका राजनैतिक व्यवहार आज भी अनिश्चितता में ही फंसा हुआ हैं। यह अपने आप में बड़ी विडम्बना है, क्योंकि यह राज्य एक लोक आंदोलन की परिणति थी। लेकिन आज लोग हाशिए पर किए जा चुके हैं और आंदोलन के समय के स्पष्ट सवाल किसी धुंधलके में गुम हो चुके हैं। राज्य में 21 साल का पूरा परिदृश्य दो राष्ट्रीय दलों – कांग्रेस व भाजपा – के बीच पिंग–पांग के खेल में तब्दील हो चुका है जिसमें गेंद बारी–बारी से एक से दूसरे और फिर दूसरे से पहले पाले में डाली जाती है। और जिनसे स्थानीय अस्मिता व जमीनी मुद्दों के वाहक बनने की उम्मीदें कर सकते थे, वे सभी क्षेत्रीय दल भी उन्ही दो बड़े दलों के पिछलग्गू बन के रह गये हैं। ऐसे में यह हुआ कि दोनों दलों ने कमोबेश मनमानी करते हुए राज्य की दिशा तय की और उसमें ठेका आधारित निर्माण पर अधिक जोर रहा। उत्तराखण्ड भौगोलिक रूप से एक संवेदनशील भू–भाग रहा है और इसके देवभूमि होने का डंका भी बजाया जाता है, लेकिन कुल मिला कर ये अवधारणाएं व चिंताएं मुंह जुबानी रही हैं।

उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होना है। ऐसे में, राजनैतिक दलों से और खासकर दल जो अंततः चुनाव जीत कर सरकार बनाता है उससे लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मांगें हैं? नागर समाज इन मांगो को समय–समय पर उठाता रहा है, और अब जब राज्य के चुनाव दरवाजें पर हैं, यह जरूरी हो जाता है हम उन सवालों व चिंताओं को फिर से रेखांकित करते हुए, राजनैतिक दलों व भावी सरकार के सामने लोगों की अहम मांगों को एक बार फिर रखें।

लोक मांग

1. **भूमि**

   हम सभी जानते हैं कि ''जल, जंगल, जमीन'' पहाड़ के समाज की रीढ़ हैं। भूमि का अधिकार स्थानीय समाज के लिए एक जरूरी पहलू रहा है जिसके तहत आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए कोई भी व्यक्ति या परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। और बाहरी निवासियों को जमीन खरीदने की खुली छूट नही होनी चाहिए, जैसा कि हमारे प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए

   – वर्तमान भू–कानून पर अंकुश लगाते हुए एक नया भू–कानून व्यापक जन चर्चा व सहमति के आधार पर, तय समय अवधि के भीतर बनाया जाए।
   – ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के इस्तेमाल (Land use) में बदलाव हेतु ग्राम सभा/वन पंचायत की अनुमति जरुरी हो।

2. **वन व वन पंचायत**

   वन पहाड़ी समाज के फेफड़े रहे हैं जो न सिर्फ उसे जिंदा रखते हैं बल्कि उसका स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं।

   – राज्य में वन अधिकार कानून को पूरी तरह लागू किया जाय।

- गांव व ब्लॉक स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सक्रीय किया जाय।
- वन पंचायत नियमावली 2005 (यथा संशोधित 2012) में वन पंचायतों को स्पष्ट वित्तीय व प्रबंधकीय आधिकार हेतु आवश्यक बदलाव व सुधार हों।

3. पानी

पहाड़ पूरे देश को पानी देते हैं, लेकिन खुद प्यासे की स्थिति में बसर करने को मजबूर होते हैं।

- लोक आधारित व नियंत्रित समग्र जल प्रबन्धन नीति बने।
- प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 100 लीटर साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

4. बड़ी परियोजनाएं, सड़क निर्माण व ऊर्जा

ये सब हमें चाहिए तो सही, लेकिन अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार कर नही।

- संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं (जल विद्युत, सड़क, इत्यादि) की पूर्णतः मनाही हो व छोटी परियोजनाओं में परियोजना पूर्व पारिस्थिकीय आंकलन सुझावों का स्पष्ट पालन हो।
- ग्राम सभा के नियंत्रण में ग्राम पंचायत द्वारा संचालित विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व 25 किलोवाट तक की पन–बिजली योजनाओं को प्रोत्साहन व सब्सिडी दी जाय।

5. स्वास्थ्य

आज स्थिति यह है कि लोग बीमार होते हैं तो मजबूरन देहरादून या अन्य मैदानी क्षेत्रों में अस्पतालों का रुख करते हैं।

- व्यापक जन सहमति से नई जन स्वास्थ नीति बने जिसमें प्रत्येक नागरिक को ब्लॉक स्तर पर गुणवत्तायुक्त निशुल्क स्वास्थ सेवांए उपलब्ध हों।
- विविध स्वास्थ प्रणालियों को मान्यता दी जाय व उनका प्रचार–प्रसार हो।

6. शिक्षा

शिक्षा का भी वही हाल है। सरकारी विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों को तो सुनियोजित षढ़यंत्र के तहत खत्म किया जा रहा है। और समाज, एक दिशाहीन, मंहगी, व्यापारी निजी शिक्षा लेने के लिए मजबूर है।

- प्राथमिक शिक्षा का संचालन ग्राम स्तर पर हो व वैकल्पिक पद्धतियों के इस्तेमाल को को बढ़ावा दिया जाय।
- माध्यमिक व स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में स्थानिकता (राज्य व जिला स्तरीय) को जोड़ा जाय।
- शिक्षा में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिले।
- उत्तराखण्ड में विभिन्न विषयों से संबंधित उच्च स्तरीय शैक्षिक व शोध संस्थानों का निर्माण किया जाय।
- न्याय पंचायत स्तर पर पुस्तकालय व वाचनालय बनाये जाय।
- स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए आवश्यक उत्पाद जितना संभव हो निकटतम गांव, आदि से लिया जाए। साथ ही, जिन विद्यालयों में जगह है, मध्यान्ह भोजन के लिए, कम से कम, स्कूल प्रांगण में ही उगाई जाएं।

7. कृषि व फलोत्पादन

पहाड़ में खेती–किसानी की हालत खस्ता है, जबकि यह पहाड़ी समाज की अर्थ–व्यवस्था का एक सशक्त आधार हो सकता था।

- जैविक (परम्परागत) व जैव विविधता आधारित स्थानीय कृषि व फलोत्पादन को बढ़ावा मिले। इसके लिए खेती में रसायनों के उपयोग–प्रयोग को कम करने की दिशा में आवश्यक प्रोत्साहन कार्यकम चलाए जांए।
- स्थानीय बाजारों का विकास हो।
- जिला व ब्लॉक स्तर पर मण्डी की स्थापना तथा प्रत्येक फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मान्यता हो।
- किसान समितियों, महिला समूहों, आदि को उत्पादन व विक्रय में आर्थिक व अन्य सहयोग मिले।

8. पशुधन

पहाड़ की खेती–किसानी और अर्थ व्यवस्था में पशुओं का अहम योगदान होता है, बल्कि उनके बगैर होने की कल्पना भी दुरूह है।

- चारागाह विकास के लिये विशेष कार्यक्रम चले।
- गांव स्तर पर पशुओं के चरान के लिए परती भूमि प्रथा होती थी, उसे पुनः स्थापित किया जाए।
- उंचाई वाले इलाकों में चरागाहों का संरक्षण हो तथा घूमन्तु पशुपालकों के उन चारागाहों पर हक सुनिश्चित किये जाएं।
- बैलों पर ऋण व सब्सिडी सुविधा हो, जिस तरह मशीनी हलों पर दी जाती है।
- छुट्टा पशुओं पर स्पष्ट योजना व कार्यवाही हो।
- हर ब्लॉक में गौशाला की स्थापना हो, तथा उन्हे रोजगार परक बनाया जाय।
- गौधन व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित नही हो तथा उसको सुगम बनाया जाय।

9. रोजगार

आज प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है।

- मनरेगा में साल में कम से कम 200 दिन का रोजगार मिले।
- स्थानीय संसाधन आधारित रोजगार को प्राथमिकता मिले। तदानुसार तकनीकज्ञी व आर्थिक सहयोग व सुविधा की व्यवस्था हो।
- पारम्परिक रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाय।
- आई टी आधारित कंपनियों की स्थापना हो।

10. पलायन

मंहगाई व बेराजगारी का परिणाम है पलायन।

- जबरन पलायन को रोकने के लिये पर स्पष्ट नीति बने जो कोरोना के दौरान नजर नहीं आयी।
- पलायन आयोग पर एक श्वेत पत्र जारी हो।

11. पर्यटन

हम बेलगाम पर्यटन से ग्रस्त हैं।

- तीर्थ स्थलों, राष्टीय पार्क व अभयारण्यों में पर्यावरणीय व सांस्कृतिक कुप्रभावों की दृष्टि से पर्यटकों की संख्या सीमित की जाय।
- ग्राम सभा के नियंत्रण में ग्राम स्तर पर समग्र पर्यटन योजनाओं का विकास हो, प्रकृति व ज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिले।
- व्यावसायिक भवन निर्माण की खुली छूट पर रोक हो लेकिन स्थानीय निर्माण हेतु पेड़ों पर छूट मिले।
- संवेदनशील इलाकों का चिन्हिकरण हो।

12. आपदा

हर साल आपदाओं की घटनाएं व गंभीरता बढ़ती जा रही हैं।

- ब्लाक स्तर पर आपदा चेतावनी व सूचना केन्द्रों की स्थापना हो।
- इन केन्द्रों में आवश्यक बचाव दल व उपकरण हर समय उपलब्ध हों।
- जिला स्तर पर संवेदनशील इलाके चिन्हित हों।

13. ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, समुदाय आधारित महिला व युवा समूह विकास की धुरी है मानव संसाधन

- 11 वीं अनुसूची में दिये गये सभी 29 विषयों पर काम करने का अधिकार पंचायतों को सौंपा जाय।
- पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्ता की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाय।
- समुदाय आधारित महिला व युवा समूहों को अधिक स्वायत्ता मिले।

14. शहरीकरण

- शहरीकरण के दौरान पर्यावरणीय व कूड़ा निस्तारण चिंताओं का सम्पूर्ण समाधान हो।
- प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 100 लीटर साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- मैदानों से लगे शहरों का बेहतर नियोजन हो।
- शहरों में जन यातायात सुविधाओं को सशक्त किया जाय। व्यक्तिगत वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय हो तथा उन पर भारी कर हो।

अति महत्वपूर्ण अन्य बिंदु

1: धार्मिक–सामाजिक ध्रुवीकरण व सामाजिक न्याय

- धार्मिक व सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ कठोर नियम व कानून बनें।
- विकलांगो के लिये बाधा मुक्त वातावरण हो इसके लिये स्पष्ट नीति बने।
- विकलांगो के लिये सार्वजनिक भवनों, यातायात के साधनों व आई0सी0टी0 को सुगम्य बनाया जाय।
- विकलांगो हेतु पेन्शन इत्यादि सुविधाओं के लिये बजट का प्रावधान बढ़ाया जाय।

2: कोविड और लॉकडाउन के बाद, राज्य में लगभग सभी विषय–क्षेत्रों में पहली सी स्थिति नही ही रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, यह भी कुछ साफ नही है।

- सभी विषय–क्षेत्रों में वर्तमान परिस्थिति को जानने समझने के लिए व्यापक अध्ययन–सर्वेक्षण कराए जाएं।
- इस दौरान तुरत–फुरत शुरू किये गये कार्यकम व परियोजानओं पर रोक लगा उनकी समुचित समीक्षा की जाए।

3. राज्य के समुचित व सुनियोजित विकास के लिए राज्य योजना आयोग की स्थापना हो।

* * *